तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज अपील संख्या 87/2025(जी.सी.एम.एस. नंबर 2025/) यशवनवान शांतिदेवी व अन्य बनाम पार्वती इत्यादि	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए

न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी जोधपुर

(पीठासीन अधिकारी ओमप्रकाश विश्नोई आर.ए.एस.)

शांतिदेवी व अन्य

बनाम

पार्वती इत्यादि

उपस्थित

1. श्री अनिल शर्मा, अधिवक्ता अपीलांट्स
2. श्री रोशनलाल, अधिवक्ता-रेस्पो. संख्या 01
3. श्री दयाराम चौधरी, राजकीय अधिवक्ता-रेस्पो. संख्या 04

आदेश

दिनांक 15 अप्रैल 2025

अपीलांट्स ने हस्तगत अपील राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 225 के तहत सहायक कलक्टर लूणी द्वारा राजस्व प्रार्थना पत्र संख्या 24/2025 अनवान पार्वती बनाम शांति देवी इत्यादि में पारित आदेश दिनांक 04 मार्च 2025 के विरुद्ध अदालत हाजा के समक्ष दिनांक 01 अप्रैल 2025 को प्रस्तुत की गई।

बहस सुनी गई। अधिवक्ता अपीलांट ने अपनी बहस में कथन किया कि अपीलांट्स वादग्रस्त आराजीयात खसरा नंबर 237/1 रकबा 2.7357 हैक्टेयर, खसरा नंबर 399 रकबा 0.8013 हैक्टेयर, खसरा नंबर 51/4 रकबा 1.8696 हैक्टेयर ग्राम सालावास के खातेदार पोलाराम पुत्र भगनाराम के पुत्र व पुत्रवधु है। खातेदार पोलाराम द्वारा वादग्रस्त आराजीयात जरिये बख्शीशनामा दिनांक 01.10.2024 के जरिये अपीलांट्स को बख्शीश की है। उक्त बख्शीशनामा पर वादीनी/रेस्पो. संख्या एक की साख गौजूद है तथा रेस्पोडेंट संख्या एक द्वारा उक्त बख्शीश नामा निष्पादित किये जाने में अपनी सहमति प्रदान की है। उक्त रजिस्टर्ड बख्शीशनामा के प्रभाव में रहते रेस्पोडेंट संख्या एक को वादग्रस्त आराजी में किसी प्रकार के अधिकार

राजस्व अपील प्राधिकारी
जोधपुर

उत्पन्न नहीं होते है। इसलिए प्रथमदृष्टया मामला, सुविधा का संतुलन एवं अपूरणीय क्षति के बिंदु अपीलांट्स के पक्ष में है। विचारण न्यायालय द्वारा अपीलार्थीगण को बिना सुनवाई का अवसर दिये एकपक्षीय स्थगन आदेश पारित करने में भारी विधिक त्रुटि कारित की है। ऐसी स्थिति में अपीलाधीन आदेश प्राकृतिक न्याय के मूलभूत सिद्धांतों के विपरीत होने से अपास्त योग्य है।

अंत में अपीलांट के अधिवक्ता ने निवेदन किया कि अपील अपीलांट स्वीकार फरमायी जावे एवं अपीलाधीन आदेश दिनांक 04 मार्च 2025 को निरस्त किया जावे।

जवाब में रेस्पोडेंट संख्या एक के अधिवक्ता ने अपीलांट्स के अधिवक्ता के कथनों का विरोध करते हुए निवेदन किया कि वादग्रस्त आराजी रेस्पोडेंट्स की पुश्तैनी खातेदारी की भूमि है। इस कारण वादग्रस्त आराजी में रेस्पोडेंट संख्या एक का पुश्तैनी रूप से 1/5 हिस्सा निहित है। अपीलांट्स द्वारा रेस्पोडेंट संख्या एक को वादग्रस्त आराजी में उनका पुश्तैनी हिस्सा देने को कहकर बुलाया तथा बिना जानकारी के बख्शीशनामा निष्पादित करवा दिया। इस कारण रेस्पोडेंट्स द्वारा अपनी पुश्तैनी भूमि में हिस्से बाबत विचारण न्यायालय में वाद एवं अस्थाई निषेधाज्ञा का प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया। विचारण न्यायालय द्वारा वाद के विचाराधीन रहते वादग्रस्त आराजी को संरक्षित रखने के लिए विधिसम्मत आदेश पारित किया है। अतः अपीलांट्स द्वारा प्रस्तुत अपील सारहीन होने से खारिज फरमायी जावे।

विद्वान राजकीय अधिवक्ता ने प्रकरण के तथ्यों एवं परिस्थितियों के अनुरूप विधिसम्मत निर्णय पारित किये जाने का निवेदन किया।

बहस पर मनन किया गया। पत्रावली पर उपलब्ध अभिलेख का आद्योपांत अवलोकन किया गया। उपलब्ध अभिलेख के अवलोकन से प्रकट होता है कि विचारण न्यायालय द्वारा खातेदारी घोषणा, विभाजन एवं स्थाई निषेधाज्ञा के वाद के विचाराधीन वादग्रस्त आराजी को संरक्षित रखने के लिए प्रथमदृष्टया मामला प्रार्थी/रेस्पो. संख्या एक के पक्ष में

राजस्व अपील प्राधिकारी
जोधपुर

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज अपील संख्या 87/2025(जी.सी.एम.एस. नंबर 2025/) बशनवान शांतिदेवी व अन्य बनाम पार्वती इत्यादि	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए

मानते हुए अंतरिम अस्थाई निषेधाज्ञा जारी कर आगामी पेशी दिनांक 01.04.2025 नियत की गई है।

अपीलांट्स द्वारा नियत पेशी पर विचारण न्यायालय के समक्ष उपस्थित होकर अपना जवाब प्रस्तुत कर पक्ष रखे बिना सीधे ही हस्तगत अपील प्रस्तुत की गई है। अदालत हाजा की राय में अपीलांट्स के पास विचारण न्यायालय के समक्ष अपना पक्ष कर वांछित अनुतोष प्राप्त करने का समुचित अवसर प्राप्त है।

यह उल्लेखनीय है कि हस्तगत अपील विचारण न्यायालय द्वारा पारित अंतरिम आदेश के विरुद्ध प्रस्तुत की गई है। विचारण न्यायालय में प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम का अंतिम निस्तारण होना है। लिहाजा मामला उभय पक्ष की सुनवाई उपरांत शीघ्र निस्तारण हेतु निर्देशों के साथ विचारण न्यायालय को प्रतिप्रेषित किया जाना न्यायोचित रहेगा।

उपरोक्त विवेचन एवं विश्लेषण के आधार पर अपील अपीलांट खारिज की जाती है तथा विचारण न्यायालय को मामला इस निर्देश के साथ प्रतिप्रेषित किया जाता है वह उभय पक्ष को सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान करते दो माह की अवधि में प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम का अंतिम निस्तारण करे।

आदेश सरे ईजलास सुनाया गया।

(ओम प्रकाश विश्नोई)
राजस्व अपील प्राधिकारी
जोधपुर

राजस्व अपील प्राधिकारी
जोधपुर